"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2005 — कार्तिक 27, शक 1927

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्री जोबी चेरियन आत्मज श्री पी. एम. चेरियन आयु 28 वर्ष, निवासी एम. आई. जी. - 571 पद्मनाभपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं. मैं अपना नाम परिवर्तित कर फादर मैथ्यू चेरियन आ. श्री पी. एम. चेरियन रख लिया हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः भविष्य में मुझे फादर मैथ्यू चेरियन आ. श्री पी. एम. चेरियन के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
जोबी चेरियन आ. श्री पी. एम. चेरियन MIG- 571 पद्मनाभपुर दुर्ग (छ. ग.)	फादर मैथ्यू चेरियन आ. श्री पी. एम. चेरियन MIG- 571 पद्मनाभपुर दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बलबीर सिंह तोमर आत्मज श्री डी. एस. तोमर, निवासी क्वा. नं. 8- एच., सड़क नं. 10, सेक्टर 3 भिलाई, तह. व जिला दुर्ग का हूं. मैंनेअपने पुत्र राजा सिंह तोमर का नाम परिवर्तित कर शिवम सिंह तोमर रख लिया है तथा इस आशय का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः भविष्य में मेरे पुत्र को शिवम सिंह तोमर आत्मज बलबीर सिंह तोमर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
राजा सिंह तोमर आत्मज बलबीर सिंह तोमर निवासी क्वा. नं. 8- एच., सड़क नं. 10 सेक्टर 3 भिलाई, तह. व जिला दुर्ग.	शिवम सिंह तोमर आत्मज बलबीर सिंह तोमर निवासी क्वा. नं. 8- एच., सड़क नं. 10 सेक्टर 3 भिलाई, तह. व जिला दुर्ग.

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कुंजेश्वर प्रसाद आत्मज श्री जोधन प्रसाद निवासी क्वा. नं. 1 - डी, एच पाकेट मरोदा सेक्टर भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं तथा भिलाई इस्पात संयंत्र में सतत ढलाई विभाग में (एस एम एस -2) में मास्टर आपरेटिव के पद पर कार्यरत हूं. मैं अपने उपनाम को बदलकर कुंजेश्वर प्रसाद वर्मा आत्मज श्री जोधन प्रसाद वर्मा कर लिया हूं. तथा इस आशय का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः भविष्य में मुझे कुंजेश्वर प्रसाद वर्मा आत्मज श्री जोधन प्रसाद वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कुंजेश्वर प्रसाद आत्मज श्री जोधन प्रसाद निवासी क्वा. नं. 1 - डी, एच पाकेट मरोदा सेक्टर भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	कुंजेश्वर प्रसाद वर्मा आत्मज श्री जोधन प्रसाद वर्मा निवासी क्वा. नं. 1 - डी, एच पाकेट मरोदा सेक्टर भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सन्तराम आत्मज श्री आर. आर. चन्द्राकर,निवासी ग्राम उतई, तह. वह जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं तथा भिलाई इस्पात संयंत्र में टी ई ई डी विभाग में चार्जमेन के पद पर कार्यरत हूं. मेरा पर्सनल नं. 143626 है.

मैं अपने नाम के साथ उपनाम जोड़कर अपना नाम सन्तराम चन्द्राकर आत्मज श्री आर. आर. चन्द्राकार रख लिया हूं तथा इस आशय का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः भविष्य में मुझे सन्तराम चन्द्राकर आत्मज श्री आर. आर. चन्द्राकर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सन्तराम आत्मज श्री आर. आर. चन्द्राकर निवासी ग्राम उतई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	सन्तराम चन्द्राकर आत्मज श्री आर. आर. चन्द्राकर निवासी ग्राम उतई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रश्मि आ. श्री सुरजीत राम, निवासी - मकान -4-ए, सड़क 6, सेक्टर -4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं अपने नाम के साथ उपनाम को जोड़कर अपना नाम रश्मि राजपूत आ. श्री सुरजीत राम राजपूत रख ली हूं तथा इस आशय का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: भविष्य में मुझे रश्मि राजपूत आत्मजा श्री सुरजीत राम राजपूत के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
रश्मि आत्मजा श्री सुरजीत राम निवासी - मकान -4-ए, सड़क 6 सेक्टर -4, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	रश्मि राजपूत आत्मजा श्री सुरजीत राम राजपूत निवासी - मकान -4-ए, सड़क 6 सेक्टर -4, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर दिनांक 5 नवम्बर 2001

क्रमांक/1237 क/वाचक/अ.वि.अ./पंजीयक.—चूंकि श्री चम्पादेवी इंदिरा देवी चेरीटेबल ट्रस्ट निवासी 10 पंचशील नगर, रायपुर ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (27 जून 1951) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र दिया है, अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 12-12-2001 को होगी.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियॉं प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता तथा संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री चम्पादेवी इंदिरा देवी चेरीटेबल ट्रस्ट 10 पंचशील नगर, रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	5000/- (पांच हजार रुपये) मात्र.
(3)	अचल संपति	:	निरंक

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2005

क्रमांक/160/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री रमेश कोठारी आत्मज स्वर्गीय गंगाराम भाई कोठारी, " कोठारी चेरीटेबल ट्रस्ट",रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियों प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् पर प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 11-4-2005 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता तथा संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	कोठारी चेरीटेबल ट्रस्ट, पंडरीतराई, रायपुर (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	भारतीय स्टेट बैंक पंडरीतराई शाखा रायपुर खाता क्र. 01190050391 जमा राशि 21000.00 रुपये.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2005

क्रमांक/263/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री केशवदास वैष्णव आत्मज महावीर दास वैष्णव जनता कालोनी के पास राजेन्द्र नगर, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 6-9-2005 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता तथा संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री बैजनाथ स्वामी मंदिर ट्रस्ट मोतीबाग चौक बैजनाथ पारा वार्ड - रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	केन्द्रीय सह. बैंक मर्यादित खाता नं. 33195 राशि 2000.00 रुपये.
(3)	अचल संपति	:	निरंक

श्री के.के. बक्शी,
पंजीयक

कार्यालय, लोक न्यास अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, खरसिया जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

खरसिया, दिनांक 18 अगस्त 2005

क्रमांक/477 क/अ.वि.अ./2005 — श्री शंकराचार्य शिक्षण समिति ट्रस्ट खरसिया के द्वारा खसरा नंबर 134 रकबा 0.040 हे., खसरा नंबर 135 रकबा 0.462 हे. कुल खसरा नंबर 2 कुल रकबा 0.502 हे. खसरा नम्बर 128/1रकबा 0.089 हे. एवं खसरा नंबर 128/2 रकबा 0.093 हे. दिनांक 13-7-2005 को विधिवत् विक्रय पंजीयन के माध्यम से क्रय की गई है जो ट्रस्ट की सम्पत्ति है.

ट्रस्ट के पदाधिकारी निम्नानुसार है -

(1) श्री गिरधर गुप्ता, प्रधान एवं मेनेजिंग ट्रस्टी साकिन खरसिया.
(2) श्री ओमप्रकाश गुप्ता, संरक्षक साकिन खरसिया.
(3) श्री आई. पी. मिश्रा, संरक्षक साकिन खरसिया.
(4) श्री राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष सचिव साकिन खरसिया.
(5) श्री मनोज अग्रवाल, सचिव साकिन खरसिया.
(6) श्री विकास गुप्ता, सह-सचिव साकिन खरसिाया.
(7) श्री मनोज अग्रवाल, उपाध्यक्ष साकिन खरसिया.
(8) श्री सुशील बंसल, उपाध्याय साकिन खरसिया.
(9) श्री सुनील अग्रवाल, कोषाध्यक्ष साकिन खरसिया
(10) श्री मनोज अग्रवाल, सह-कोषाध्यक्ष साकिन खरसिया.
(11) श्री विनय छापरिया, सदस्य साकिन खरसिया.
(12) श्री अशोक अग्रवाल, सदस्य साकिन खरसिया.
(13) श्री संजय अग्रवाल, सदस्य साकिन खरसिया.
(14) श्री जयेस मिरानी, सदस्य साकिन खरसिया.

अभय कुमार मिश्रा,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, धमतरी जिला - धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

क्रमांक/476/अविअ/वा. 1/2005.—आवेदक पंढरीराव कृदत्त पिता गुलाब राव कृदत्त निवासी मराठापारा धमतरी एवं अन्य 7 ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत लोकन्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 28-10-2005 को विचार किया जावेगा.

कोई भी व्यक्ति जो किले के श्री हनुमान मंदिर एवं गायत्री संस्कृत पाठशाला, धमतरी के संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो. तो इस ईश्तहार/सूचना से लोकन्यास एवं उसकी गठन पर आपत्ति रखता हो. तो वह अपना पक्ष रख सकता है.

अत: मैं ओंकार यदु, अनुविभागीय अधिकारी किले के श्री हनुमान मंदिर एवं गायत्री संस्कृत पाठशाला धमतरी के लोकन्यासों की पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 28-10-2005 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत लोकन्यास के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री हनुमान मंदिर एवं गायत्री संस्कृत पाठशाला ट्रस्ट धमतरी,
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपति	:	ग्राम तेलीन सत्ती में भूमि ख. नं. 232, 233 रकबा 0.05, 11.48 ख.न. 246 रकबा 7.83

धमतरी, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

प्रकरण क्रमांक 02 ब/113 वर्ष. 2005-06.—आवेदक विपीन पवार पिता श्री भागवत राम पवार निवासी मराठापारा धमतरी एवं अन्य 6 ने "श्री काल भैरव मंदिर ट्रस्ट, धमतरी" का मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शायी संपत्ति को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने आवेदन प्रस्तुत किया है.

2. अत: सर्वसाधारण हितार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 31-10-2005 को न्यायालय अवधि में रखी जावेगी. संबंधित पक्षकार जो उक्त ट्रस्ट का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और पेशी दिनांक को स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होवे, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आवेदन/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री काल भैरव मंदिर ट्रस्ट, धमतरी
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपति	:	ग्राम धमतरी में स्थित पट्टे की नजूल भूमि प्लाट नं. 42 रकबा 1353 वर्गफीट.

ओंकार यदु,
अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2005.